सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार—I आर.ए.एस.)

दर्ज तिथिः— 13.02.2025

प्रार्थना पत्र सं.:— 2025/28

1. इन्द्रा देवी पुत्री स्व. गणपतराम मेघवाल निवासी ग्राम दादर तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. द्रोपती देवी पुत्री स्व. गणपतराम मेघवाल निवासी ग्राम काकर तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. मनभरी पुत्री स्व. गणपतराम मेघवाल निवासी ग्राम ढाढर तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. रणजीत पुत्र स्व. गणपतराम मेघवाल निवासी ग्राम ढाढर तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. बेगाराम पुत्र स्व. स्यालूराम मेघवाल निवासी ग्राम कादर तहसील व जिला चूरू (राज.)
6. लालचन्द पुत्र स्व. स्यालूराम मेघवाल निवासी ग्राम ढाकर तहसील व जिला चूरू (राज.)

.....प्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

बनाम

1. उमीदेवी पत्नी स्व. गोवर्धनराम मेघवाल निवासी ग्राम ढाढर तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. कृष्णा पुत्री स्व. गोवर्धनराम मेघवाल निवासी ग्राम बदर तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. भगवती पुत्री स्व. गोवर्धनराम मेघवाल निवासी ग्राम ढाढर तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. मन्जू पुत्री गोवर्धनराम मेघवाल निवासी ग्राम ढाढर तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. हीरा पुत्री स्व. गोवर्धनराम मेघवाल निवासी ग्राम ढाढर तहसील व जिला चूरू (राज.)
6. छगनलाल पुत्र स्व. गोवर्धनराम मेघवाल निवासी ग्राम ढाढर तहसील व जिला चूरू (राज.)
7. प्रमेश्वर पुत्र स्व. गोवर्धनराम मेघवाल निवासी ग्राम ढाढर तहसील व जिला चूरू (राज.)
8. राकेश पुत्र स्व. गोवर्धनराम मेघवाल निवासी ग्राम ढाढर तहसील व जिला चूरू (राज.)
9. दुरगी पत्नी स्व. भगवानाराम मेघवाल निवासी ग्राम ढाढर तहसील व जिला चूरू (राज.)
10. सुरेश पुत्र स्व. भगवानाराम मेघवाल निवासी ग्राम ढाढर तहसील व जिला चूरू (राज.)
11. भंवरलाल पुत्र स्व. भगवानाराम मेघवाल निवासी ग्राम ढाढर हसील व जिला चूरू (राज.)
12. महेन्द्र पुत्र स्व. भगवानाराम मेघवाल निवासी ग्राम ढाढर तहसील व जिला चूरू (राज.)
13. विनोद पुत्र स्व. भगवानाराम मेघवाल निवासी ग्राम ढाढर तहसील व जिला चूरू (राज.)
14. राजुराम पुत्र स्व. भगवानाराम मेघवाल निवासी ग्राम ढाढर तहसील व जिला चूरू (राज.)
15. भागीरथ पुत्र स्व. भगवानाराम मेघवाल निवासी ग्राम ढाढर तहसील व जिला चूरू (राज.)
16. शान्ति पुत्री स्व. भगवानाराम मेघवाल निवासी ग्राम ढाढर तहसील व जिला चूरू (राज.)
17. पंजाब नेशनल बैंक शाखा गुदड़ी बाजार चूरू (
18. राज., राज्य जरिये तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:01 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

...अप्रार्थीगण

इन्द्रादेवी आदि बनाम उमीदेवी आदि
2020 / 32
निर्णय दिनांकः—15.04.2026

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री नन्दराम राहड़, श्री सुरेन्द्र राहड़
अप्रार्थीः— श्री अभिषेक टावरी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

निर्णय

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा— 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय किये जाने वास्ते पेश हुई है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि अप्रार्थीगण / वादीगण की ओर से माननीय न्यायालय में दावा संख्या ...../2024 अनुवानी उमीदेवी आदि बनाम इन्द्रा देवी आदि चल रहा है जिसमें प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण की ओर से अप्रार्थीगण / वादीगण के खिलाफ जवाब दावे के साथ काउन्टर क्लेम (प्रतिदावा) पेश किया गया है जो काउन्टर क्लेम (प्रतिदावा) में प्रार्थीगण प्रतिवादीगण को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है।
2. प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण एंव अप्रार्थीगण / वादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 275 व 364 तादादी कमशः 4.3883 हैक्टेयर व 1.3278 हैक्टेयर कुल तादादी 5. 7161 हैक्टेयर वाके रोही ढाढर तहसील चूरू में संयुक्त खातेदारी राजस्व अभिलेख में जरूर चली आ रही है परन्तु अप्रार्थीगण / वादीगण का कब्जा काश्त नही है परन्तु भाई बंटवारे के अनुसार प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण का भौतिक कब्जा मौके पर बदस्तुर चला आ रहा है।
3. अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण भंवरलाल, भागिरथ, महेन्द्र, राजुराम, विनोद, शान्ति, सुरेश, दुर्गी जो स्व. भगवाना राम के वारिस है भगवाना राम सन् 1969 में अपना हक हिस्सा लेकर अलग हो गया था सामलाती परिवार में माता दाखा देवी, भाई गणपतराम, अप्रार्थीगण / वादीगण के पिता स्व. गोवर्धन राम संयुक्त परिवार में एक साथ रहे संयुक्त परिवार की आय से दिनांक 03.04. 1978 को 12 बीघा 11 विश्वा कृषिभूमि खसरा संख्या 20 व दिनांक 03.05.1979 को 20 बीधा 18 विश्वा कृषिभूमि खसरा संख्या 21 वाके रोही ढाकर में खरीद की गई खसरा संख्या 20 व 21 की कृषिभूमि जो संयुक्त परिवार की आय से संयुक्त रूप से कब्जा काश्त बतौर खातेदार मौके पर प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण तथा मुख्य अप्रार्थीगण / वादीगण का संयुक्त रूप से चला आ रहा है इस कृषि भूमि में अप्रार्थीगण / वादीगण हिस्सा तथा प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण इन्द्रा, द्रापती, मनभरी, रणजीत जो स्व. गणपतराम के वारिसान है इनका सामुहिक रूप से 1/4 तथा प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण बेगाराम का 1/4 हिस्सा तथा लालचन्द का 1/4 हिस्सा वादगत कृषि भूमि खसरा संख्या 20 व 21 वाके रोही ढाढर में मौके पर बदस्तुर कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण तथा अप्रार्थीगण / वादीगण की संयुक्त रूप से कब्जा कायत की कृषि भूमि चली आ रही है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बखूबी साबित है।
4. खसरा संख्या 275,364 कुल तादादी हैक्टेयर वाके रोही ... स्व. भगवाना राम ने सन् 1969 में अपना 1/5 हिस्सा लेकर अलग ... अप्रार्थीगण / वादीगण तथा प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा था खसरा संख्या 20 व 21 तादादी कमशः 3.1742 हैक्टेयर व 5.2230 हैक्टेयर वाके रोही ढाढर की कृषिभूमि जो अप्रार्थीगण / वादीगण तथा प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण की संयुक्त रूप से परिवार की संयुक्त आय से खरीद की गई कृषि भूमि जिसमें प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा के खातेदार काश्तगार है तथा अप्रार्थीगण / वादीगण का 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तगार कानूनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:01 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

रूप से चले आ रहे है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण प्रतिवादीगण के पक्ष में सुविधा संतुलन का सिद्धान्त बखुबी साबित है इसलिये अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

5. वादगत कृषि भूमियों का अप्रार्थीगण/वादीगण के पूर्वज स्व. गोवर्धन राम तथा प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण इन्द्रा, द्रोपती, मनभरी, रणजीत के पूर्वज स्व. गणपतराम तथा प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण बेगाराम, लालचन्द ने आपस में संयुक्त कृषिभूमि खसरा संख्या 275, 364 व खसरा संख्या 20 व 21 वाके रोही ढाढर तहसील चूरू का आपस में भाई बंटवारा सन् 1987 में मौखिक रूप से किया गया मौखिक बंटवारे के अनुसार खसरा संख्या 20 की कृषिभूमि अप्रार्थीगण/वादीगण के पूर्वज स्व. गोवर्धन राम के हिस्से में आयी तथा खसरा संख्या 275, 364 की कृषि भूमि प्रार्थीगण प्रतिवादीगण इन्द्रा, द्रोपती, मनभरी, रणजीत के पिता स्व. प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण लालचन्द के बंटवारे में आयी ऐसी स्थिति में मौके पर कब्जा काश्त भौतिक रूप से अनुसार चला आ रहा है। गणपतराम बहामी बंटवारे के अनुसार चला आ रहा है।

6. अप्रार्थीगण/वादीगण जो कि वादगत कृषिभूमि खसरा संख्या 275, 364 कुल तादादी 5.7161 हैक्टेयर वाके रोही ढाढर में खातेदारी में मात्र नाम दर्ज होंने के आधार पर बिना कब्जा काश्त अप्रार्थीगण/वादीगण इस कृषि भूमि को दौराने दावा व दौराने काउन्टर क्लेम को खुर्द बुर्द करने के उद्देश्य से उतारू है तथा यह कृषिभूमि आबादी भूमि के पास होने से अप्रार्थीगण/वादीगण इकरारनामें व बेनामें के जरिये अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरण करने पर आमदा है इस बाबत प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को दिनांक अप्रार्थीगण/वादीगण ने कहा कि हम करेगें तथा किसी भी प्रकार का रहन, 03.02.2025 को हमारी कृषि भूमि विकय बैय, हस्तान्तरण न करे।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन है कि खेत खसरा संख्या 275, 364 कुल तादादी 5.7161 हैक्टेयर वाके रोही ढाढर की कृषिभूमि में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण तथा अप्रार्थीगण/वादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से दावा दौराने काउन्टर क्लेम का निर्णय होने तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने व रहन बैय हस्तान्तरण से पाबन्द किया जावे व प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। श्रीमानजी की बड़ी कृपा होगी।

7. प्रार्थना—पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 की ओर से अधिवक्ता श्री अभिषेक टावरी ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना—पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 9 ता 16 को विधिवत तामील होने के उपरान्त भी उनके द्वारा उपस्थित होकर जवाब/हाजिरी प्रस्तुत नहीं की गई, अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 17 बैंक की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र राठौड़ ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना—पत्र पेश किया। प्रार्थी संख्या 18 भूमिधारी हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 की ओर निम्नानुसार जवाब प्रार्थना—पत्र पेश किया गयाः—

1. प्रार्थना पत्र की मद संख्या 01 में वर्णित तथ्यो में अप्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष उमीदेवी आदि विरूद्ध इन्द्रा आदि के नाम से वाद प्रस्तुत किये जाने का कथन सही होने से स्वीकार है। इस मद में अंकित अनुसार उक्त वाद में प्रतिवादीगण द्वारा काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किये जाने का कुथन स्वीकार है परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा वाद में वर्णित कृषि भूमि से भिन्न कृषि भूमि बाबत उक्त काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया है जो पोषणीय नही है तथा साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा जिस कृषि भूमि बाबत उक्त काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया है उसमें प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है तथा वह कृषि भूमि प्रतिवादीगण की पुश्तैनी कृषि भूमि है इस कारण उक्त काउण्टर क्लेम में सफलता मिलने की कोई सम्भावना तथा उम्मीद नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:01 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। इस मद में अंकित कृषि भूमि खसरा संख्या 275 व 364 का कभी कोई भाई बंटवारा नही हुआ है बल्कि

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

इन दोनो कृषि भूमियो में सभी काश्तकारो का राजस्व रिकोर्ड में अंकित अनुसार हक व हिस्सा मौजूद चला आ रहा है।

3. प्रार्थना पत्र की मद संख्या 03 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। कृषि भूमि खसरा संख्या 20 रोही ढ़ादर केवल मात्र उत्तरदातागण / अप्रार्थीगण के हक अधिकार व कब्जा काश्त की कृषि भूमि है जिसमें अन्य किसी व्यक्ति व परिवार के सदस्य का कोई हिस्सा किसी भी रूप में नहीं है क्योंकि यह कृषि भूमि उत्तरदातागण के पति व पिता स्वर्गीय गोरधन पुत्र स्यालूराम अकेले द्वारा खरीदशुदा कृषि भूमि है जो गोरधन द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 03.04.1978 के जरिये क्रय की गई है। वादगत कृषि भूमियो व खसरा संख्या 20 की कृषि भूमि बाबत कभी किसी प्रकार का कोई बंटवारा पूर्व में नहीं हुआ है। इस मद में अंकित अनुसार प्रार्थीगण इन्द्रा देवी आदि व बेगाराम लालचन्द का खसरा संख्या 20 की कृषि भूमि में किसी भी रूप में 1/4 हिस्सा अथवा अन्य कोई हिस्सा मौजूद नहीं है क्योंकि यह कृषि भूमि उत्तरदातागण के पिता अकेले की खरीदशुदा संपत्ति है तथा इसी कारण इस खसरा संख्या 20 की कृषि भूमि के राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थीगण इन्द्रा देवी आदि का कोई नाम अंकित नहीं है, ना ही इसी कृषि भूमि पर कोई कब्जा व काश्त ही इन्द्रा देवी आदि का है। इस कारण इस कृषि भूमि बाबत प्रार्थीगण इन्द्रा देवी आदि के पक्ष में किसी भी रूप में प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित नही है।

4. प्रार्थना पत्र की मद संख्या 04 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। इस मद में अंकित अनुसार ना ही तो खसरा संख्या 275 व 364 बाबत कोई बंटवारा ही कभी हुआ है, ना ही खसरा संख्या 20 की कृषि भूमि परिवार की संयुक्त आय से खरीदशुदा कृषि भूमि ही है। प्रार्थीगण इन्द्रा देवी आदि इस खसरा संख्या 20 की कृषि भूमि में खातेदार भी नहीं है। इस कारण इन्द्रा देवी आदि के पक्ष में सुविधा के सन्तुलन का सिद्धांत किसी भी रूप में प्रमाणित नहीं है।

5. प्रार्थना पत्र की मद संख्या 05 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। इस मद में अंकित अनुसार वादगत खसरा संख्या 275 व 364 तथा खसरा संख्या 20 के संबंध में कभी कोई भाई बंटवारा वर्ष 1987 अथवा अन्य किसी दिनांक को नहीं हुआ है। खसरा संख्या 20 की कृषि भूमि केवल मात्र उत्तरदातागण के हक अधिकार की कृषि भूमि है जिसमें परिवार के अन्य किसी सदस्य का कोई लेना देना नही है। वादगत कृषि भूमि खसरा संख्या 275 व 364 संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है जिसमें उत्तरदातागण का भी हक व हिस्सा मौजूद है।

6. प्रार्थना पत्र की मद संख्या 06 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। वादगत खसरा संख्या 275 व 364 की कृषि भूमियो में उत्तरदातागण का भी हक हिस्सा व कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसे उत्तरदातागण विभाजित करवा अलग करवाना चाहते है।

7. प्रार्थना पत्र की अन्तिम बिना नम्बरी अनुतोष मद में चाहा गया किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष इन्द्रा देवी आदि प्राप्त करने के अधिकारी नही है तथा इन्द्रा देवी आदि का यह प्रार्थना पत्र खारिज किये [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:01 IST
Reason: SelfAttested

8. प्रार्थीगण इन्द्रा देवी आदि [illegible] करते हुवे हस्तगत स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया [illegible] जाने योग्य है।

9. उत्तरदातागण/अप्रार्थीगण द्वारा अपना मूल [illegible] ग्राम ढाढ़र की रोही में अवस्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 275 व 364 बाबत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा कानूनन प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण इन्ही कृषि भूमियो की हद (10:30, 16/4/2026) तक

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अपना काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर सकते है परन्तु प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण द्वारा गलत रूप से वादगत कृषि भूमियो से भिन्न कृषि भूमि खसरा संख्या 20 बाबत अपना काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया है एवं हस्तगत स्थगन प्रार्थना पत्र खसरा संख्या 275 व 364 बाबत प्रस्तुत किया गया है जो विधिक रूप से पोषणीय न होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

10. प्रार्थीगण इन्द्रा देवी आदि द्वारा जिस खसरा संख्या 20 की कृषि भूमि बाबत अपना काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया है वह प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि नहीं है अपितु केवल मात्र उत्तरदातागण / अप्रार्थीगण के ही कब्जा काश्त व खातेदारी तथा हक अधिकार की कृषि भूमि है। चूंकि प्रार्थीगण इन्द्रा देवी आदि इस कृषि भूमि के संयुक्त खातेदार नहीं है इस कारण प्रार्थीगण इन्द्रा देवी आदि को इस कृषि भूमि के संबंध में काउण्टर क्लेम प्रस्तुत करने का कोई आधार प्राप्त नहीं है। इस कारण भी प्रार्थीगण इन्द्रा देवी आदि द्वारा प्रस्तुत यह स्थगन प्रार्थना पत्र किसी भी रूप में पोषणीय नही है तथा खारिज योग्य है।

11. प्रार्थीगण इन्द्रा देवी आदि के स्थगन प्रार्थना पत्र के कथनो में लेश मात्र भी सत्यता होती तो प्रार्थीगण इन्द्रा देवी आदि द्वारा वर्ष 1978 के तुरन्त पश्चात अथवा वर्ष 1987 के तुरन्त पश्चात कृषि भूमि खसरा संख्या 20 बाबत तत्समय ही कार्यवाही कर दी जाती परन्तु प्रार्थीगण इन्द्रा देवी आदि द्वारा इन 35–40 वर्षों में इस बाबत कोई कार्यवाही न किया जाना स्वतः ही प्रार्थीगण इन्द्रा देवी आदि के कथनो को मिथ्या प्रमाणित करते है तथा इस कारण भी प्रार्थीगण इन्द्रा देवी आदि का यह स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

12. प्रार्थीगण इन्द्रा देवी आदि द्वारा अपने काउण्टर क्लेम व हस्तगत प्रार्थना पत्र में गलत रूप से खसरा संख्या 20 व 21 रोही दाढ़र की कृषि भूमियो को परिवार की संयुक्त आय से खरीद किया गया होना बताया गया है जो तथ्य सही नहीं है। यदि प्रार्थीगण इन्द्रा देवी आदि के कथनो में सत्यता होती तो प्रार्थीगण इन्द्रा देवी आदि द्वारा केवल खसरा संख्या 20 बाबत ही अपना काउण्टर क्लेम प्रस्तुत नही किया जाता अपितु खसरा संख्या 21 रोही दाढ़र बाबत भी अपना काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया जाता परन्तु प्रार्थीगण इन्द्रा देवी आदि की मंशा सही नहीं है इस कारण ही गलत आधारो पर प्रार्थीगण इन्द्रा देवी आदि द्वारा यह काउण्टर क्लेम व स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

13. प्रार्थीगण इन्द्रा देवी आदि के काउण्टर क्लेम व हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित अनुसार पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई बाहमी बंटवारा नही हुआ है जिस कारण भी यह स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

14. प्रार्थीगण इन्द्रा देवी आदि द्वारा अपना काउण्टर क्लेम रोही ढाढर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 20 बाबत प्रस्तुत किया गया है जबकि यह स्थगन प्रार्थना पत्र खसरा संख्या 275 व 364 बाबत प्रस्तुत किया गया है जो इसी विधिक त्रुटि के कारण पोषणीय नहीं है तथा खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:01 IST
Reason: SelfAttested

15. प्रार्थीगण इन्द्रा देवी आदि [illegible] दृष्टया मामला, सुविधा के सन्तुलन का सिद्धांत व अपूरणीय क्षति का सिद्धांत [illegible] नहीं है जिस कारण इन्द्रा देवी आदि का यह स्थगन प्रार्थना पत्र किसी भी रूप में पोषणीय नहीं है तथा खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह स्थगन प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

8. पत्रावली में तहसीलदार चूरू से रिपोर्ट चाही गई जिसमें खसरा नं. 275/4.3883 हैक्ट. व 364/1.3278 हैक्ट. पर पहुंच कर मौका अनुसार व उपस्थित अप्रार्थीगण और मौतबिरान द्वारा पूछताछ की गई। उक्त दोनों खसरान की कुल 5.7161 हैक्ट. नजरी नक्शा अनुसार कब्जा काश्त है। उक्त दोनों खसरान पर सहखातेदार छगनलाल पुत्र गोवर्धनलाल का कब्जा काश्त मौके अनुसार नहीं है। प्रार्थीगण ने बताया है कि उक्त दोनों खसरान पर पारिवारिक बंटवारे अनुसार हिस्सा नहीं है। अप्रार्थी छगनलाल व राकेश द्वारा दूरभाष पर बात करने बताया गया है कि ग्राम ढ़ाढ़र के खेत खसरा नं. 275, 364 का विभाजन हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू में वाद चल रहा है। प्रार्थी उक्त खसरान में सहखातेदार है। प्रार्थी लालचन्द पुत्र श्यालुराम, बेगाराम पुत्र श्यालुराम जो कि उक्त खसरान में सहखातेदार है ने बताया है कि प्रार्थी द्वारा दायर वाद में बचाव में इनके द्वारा काउंटर क्लेम किया हुआ है। इस प्रकार उक्त खसरान के कब्जा काश्त हेतु वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू में विचाराधीन है।

9. पत्रावली में सीधे बहस में नियत की गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 275 एवं 364, कुल रकबा 5.7161 हैक्टेयर, स्थित रोही ढाढर, तहसील चूरू, राजस्व अभिलेखों में संयुक्त खातेदारी की भूमि दर्ज है, जिसमें प्रार्थीगण सहखातेदार हैं। प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर वास्तविक कब्जा काश्त चला आ रहा है, जो कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से भी पुष्ट होता है, जिसमें प्रार्थीगण का कब्जा पाया गया है। पक्षकारों के मध्य पूर्व में पारिवारिक मौखिक बंटवारा वर्ष 1987 में हो चुका है, जिसके अनुसार प्रत्येक पक्ष अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करता आ रहा है। अप्रार्थीगण मात्र राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज होने के आधार पर भूमि पर अधिकार जताते हैं, जबकि उनका मौके पर कब्जा नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा वाद लंबित रहते हुए भूमि को विक्रय/हस्तांतरित करने की संभावना है, जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला स्पष्ट रूप से स्थापित है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की गई तो वाद का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। अतः निवेदन है कि वाद के अंतिम निर्णय तक मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने एवं भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाने का आदेश पारित किया जाए।

10. अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवाद करते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथ्यों के विपरीत एवं मिथ्या है, जिसे खारिज किया जाना न्यायोचित है। खसरा संख्या 275 एवं 364 संयुक्त खातेदारी की भूमि अवश्य है, परंतु इसमें सभी सहखातेदारों का समान अधिकार है एवं कोई पृथक कब्जा स्थापित नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा कथित मौखिक बंटवारा वर्ष 1987 का कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः यह कथन अविश्वसनीय है। खसरा संख्या 20 की भूमि स्व. गोवर्धनराम द्वारा व्यक्तिगत रूप से पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से खरीदी गई थी, जो प्रार्थीगण की संयुक्त पारिवारिक संपत्ति नहीं है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कोई नाम, कब्जा या अधिकार राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है, अतः उनका प्रार्थना–पत्र निराधार है। प्रार्थीगण द्वारा 35–40 वर्षों तक कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जाना यह दर्शाता है कि उनका कथन विलंब से ग्रस्त है। काऊन्टर क्लेम वाद में अ[illegible] से संबंधित प्रस्तुत नहीं कर अन्य खसरे का अंकन किया गया है जिसकी सुनवाई का अधिकार अदालतवाला को नहीं है। प्रार्थीगण न तो प्रथम दृष्टया मामला स्थापित [illegible] उनके पक्ष में है, और न ही कोई अपूरणीय क्षति सिद्ध होती है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जाए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:01 IST
Reason: SelfAttested

11. यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत वाद में प्रार्थीगण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रार्थना की

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

गई है कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 275 व 364, कुल रकबा 5.7161 हैक्टेयर, स्थित रोही ढाढर, तहसील चूरू के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने एवं किसी प्रकार के हस्तांतरण/रहन/विक्रय पर रोक लगाई जाए। प्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि पर उनका संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वर्ष 1987 में मौखिक बंटवारा भी हो चुका है। वहीं अप्रार्थीगण द्वारा उक्त तथ्यों का खंडन करते हुए कहा गया है कि खसरा संख्या 275 व 364 संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसमें सभी पक्षकारों का हिस्सा है। खसरा संख्या 20 की भूमि केवल स्व. गोवर्धनराम द्वारा क्रय की गई व्यक्तिगत संपत्ति है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कोई अधिकार या कब्जा नहीं है। तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 275 व 364 पर कुल रकबा 5.7161 हैक्टेयर में कब्जा काश्त विद्यमान है। उक्त भूमि पर सहखातेदारी विद्यमान है एवं विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। सभी सहखातेदारों का कब्जा स्पष्ट रूप से पृथक–पृथक स्थापित नहीं है। खसरा संख्या 275 व 364 के संबंध में राजस्व अभिलेखों एवं तहसीलदार रिपोर्ट से यह स्थापित होता है कि उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की है तथा विवाद लंबित है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रकट होता है तथा यदि भूमि का हस्तांतरण किया जाता है तो अपूरणीय क्षति होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। खसरा संख्या 20 के संबंध में अभिलेखों के अनुसार उक्त भूमि स्व. गोवर्धनराम द्वारा क्रय की गई है तथा प्रार्थीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक बंटवारे का कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तथा लंबे समय तक कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस संबंध में प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं होता है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं अभिलेखों के अवलोकन के आधार पर न्यायालय निम्न आदेश पारित करता है:–

आदेश है कि

प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। खसरा संख्या 275 व 364, कुल रकबा 5.7161 हैक्टेयर, रोही ढाढर के संबंध में पक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि वाद के अंतिम निर्णय तक भूमि की यथास्थिति बनाए रखें। कोई भी पक्षकार उक्त भूमि का विक्रय, रहन, हस्तांतरण या किसी तृतीय पक्ष को अधिकार प्रदान नहीं करेगा। खसरा संख्या 20 के संबंध में प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध नहीं होने के कारण इस भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जाती है। यह आदेश अस्थाई प्रकृति का है तथा वाद के अंतिम निर्णय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 15.04.2026 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार–I)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:01 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी चूरू